



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229885
CG-DL-E-23092021-229885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3596]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 3596]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3920 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इससे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3902 (अ.) तारीख 28 अक्टूबर 2020, भारत के राजपत्र में तारीख 29 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला — गोरखपुर एल0पी0जी0 पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील — उन्नाव जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य में एल0पी0जी0 गैस के परिवहन हेतु आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी, और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू — स्वामियों को तारीख 07.01.2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइप लाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइप लाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उन्नाव		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वेनं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-आर-वर्गमीटर		
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	मुर्तजानगर	1453	00	00	20
		1455	00	01	50
		1456	00	00	94
		1457	00	01	53
		1458	00	04	11
		1459	00	03	46
		1454/1271	00	00	70
		1471	00	02	54
		1481	00	03	84
		1480	00	00	37
		1482	00	05	19
		1483	00	01	08
		1474	00	00	46
		1485	00	06	12
		1484	00	10	37
		1493	00	02	84
		1494	00	00	73
		1492	00	07	13
		1506	00	02	76
		1491	00	00	91
		1507	00	04	47
		1508	00	00	51
		1509	00	06	30
		1510	00	01	75
		1661	00	00	20
		1560	00	00	20
		1558	00	03	61
		1559	00	11	19
		1557	00	00	33
		1627	00	12	04
		1626	00	02	08

1	2	3	4	5	6
		1625	00	06	80
		1622	00	00	75
		1621	00	02	10
		1599	00	06	84
		1598	00	00	41
		1597	00	05	69
		1593	00	00	20
		1594	00	05	91
		1585	00	00	28
		1586	00	00	31
		1589	00	06	16
		1590	00	00	75
		1825	00	01	66
		1826	00	08	21
		1827	00	02	15
		2028	00	05	07
		1832	00	01	94
		2026	00	53	56
		2025	00	00	34
		2052	00	05	09
		2053	00	04	38
		2054	00	01	25
		2107	00	03	71
		2108	00	05	94
		2109	00	01	69
		2144	00	09	42
		2110	00	01	04
		2136	00	01	85
		2133	00	02	75
		2132	00	01	56
		2131	00	01	31
		2146	00	00	49
		2147	00	00	20
		2148	00	07	20
		2150	00	02	25
		2149	00	01	16

1	2	3	4	5	6
		2128	00	00	45
		2170	00	00	94
		2169	00	05	40
उन्नाव	सराय कटियान	1339	00	00	24
		1362	00	00	20
		1355	00	06	13
		1356	00	06	66
		1353	00	05	48
		1336	00	01	05
		1335	00	05	95
		1080	00	02	99
		1079	00	03	23
		1078	00	05	42
		1077	00	08	74
		1075	00	07	28
		1074	00	07	20
		1070	00	44	15
		1068	00	04	75
		1065	00	01	58
		613	00	06	17
		615	00	00	38
		616	00	00	36
		618	00	11	68
		619	00	00	32
		620	00	07	67
		621	00	00	37
		622	00	03	81
		625	00	06	17
		596	00	01	54
		595	00	01	65
		594	00	02	79
		593	00	05	79
		591	00	10	32
उन्नाव	सुनैधा	184	00	15	14
		180	00	00	69
		179	00	08	18

1	2	3	4	5	6
		170	00	00	23
		169	00	00	33
		98	00	00	98
		31	00	00	40
		29	00	05	53
		27	00	05	01
		26	00	00	28
		25	00	00	35
		24	00	15	29
		6	00	11	13
		1	00	06	32

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

पी. सोमाकुमार, अवसरचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3920(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3902 (E)) dated the 28 October 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 29th October 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Unnao District-Unnao in the state of Uttar Pradesh by I.H.B. Pvt. Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 07 Jan. 2021.

And whereas Competent Authority I.H.B. Pvt. Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in I.H.B. Pvt. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Pvt. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Unnao		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Unnao	Murtaja Nagar	1453	00	00	20
		1455	00	01	50
		1456	00	00	94
		1457	00	01	53
		1458	00	04	11
		1459	00	03	46
		1454/1271	00	00	70
		1471	00	02	54
		1481	00	03	84
		1480	00	00	37
		1482	00	05	19
		1483	00	01	08
		1474	00	00	46
		1485	00	06	12
		1484	00	10	37
		1493	00	02	84
		1494	00	00	73
		1492	00	07	13
		1506	00	02	76
		1491	00	00	91
		1507	00	04	47
		1508	00	00	51
		1509	00	06	30
		1510	00	01	75
		1661	00	00	20
		1560	00	00	20
		1558	00	03	61
		1559	00	11	19
		1557	00	00	33
		1627	00	12	04

1	2	3	4	5	6
		1626	00	02	08
		1625	00	06	80
		1622	00	00	75
		1621	00	02	10
		1599	00	06	84
		1598	00	00	41
		1597	00	05	69
		1593	00	00	20
		1594	00	05	91
		1585	00	00	28
		1586	00	00	31
		1589	00	06	16
		1590	00	00	75
		1825	00	01	66
		1826	00	08	21
		1827	00	02	15
		2028	00	05	07
		1832	00	01	94
		2026	00	53	56
		2025	00	00	34
		2052	00	05	09
		2053	00	04	38
		2054	00	01	25
		2107	00	03	71
		2108	00	05	94
		2109	00	01	69
		2144	00	09	42
		2110	00	01	04
		2136	00	01	85
		2133	00	02	75
		2132	00	01	56
		2131	00	01	31
		2146	00	00	49
		2147	00	00	20
		2148	00	07	20

1	2	3	4	5	6
		2150	00	02	25
		2149	00	01	16
		2128	00	00	45
		2170	00	00	94
		2169	00	05	40
Unnao	Saray Katiyan	1339	00	00	24
		1362	00	00	20
		1355	00	06	13
		1356	00	06	66
		1353	00	05	48
		1336	00	01	05
		1335	00	05	95
		1080	00	02	99
		1079	00	03	23
		1078	00	05	42
		1077	00	08	74
		1075	00	07	28
		1074	00	07	20
		1070	00	44	15
		1068	00	04	75
		1065	00	01	58
		613	00	06	17
		615	00	00	38
		616	00	00	36
		618	00	11	68
		619	00	00	32
		620	00	07	67
		621	00	00	37
		622	00	03	81
		625	00	06	17
		596	00	01	54
		595	00	01	65
		594	00	02	79
		593	00	05	79
		591	00	10	32

1	2	3	4	5	6
Unnao	Sunaidha	184	00	15	14
		180	00	00	69
		179	00	08	18
		170	00	00	23
		169	00	00	33
		98	00	00	98
		31	00	00	40
		29	00	05	53
		27	00	05	01
		26	00	00	28
		25	00	00	35
		24	00	15	29
		6	00	11	13
		1	00	06	32

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.